>

Title: Need for payment of Royalty to State Government on well- head price of Crude oil.

श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला (वडोदरा): संबंधित राज्य सरकार को भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा क्रूड ऑयल के उपर रॉयल्टी का भुगतान क्रूड ऑयल के कंए के निजी दाम (वेल हेड प्राइस) के उपर आधारित होता है। कुंएं के निजी दाम ता. 17.03.2011 के समझौते अनुसार तय किये गये हैं, जो कि मार्केट आधारित था।

भारत सरकार की सूचना के अनुसार ओ.एन.जी.सी.एल. ने तेल वितरण करने वाली कंपनियों को क्रूड ऑयल डिस्काउंट पर देने का कार्य शुरू किया है।

ओ.एन.जी.सी.एल. ने अप्रैल 2008 तक बिना डिस्काउंट की कीमतों पर रॉयल्टी चुकाई है। लेकिन मई 2008 से डिस्काउंट बाद की कीमतों के उपर रॉयल्टी चुकाई है।

वास्तव में तेल वितरण करने वाली कंपनियों को दिया जाने वाला डिस्काउंट एक आंतरिक व्यवस्था है और इसीलिये उसे रॉयल्टी की प्रक्रिया से बाहर रखते हुए, कुंए के निजी दाम (वेल हेड प्राइस) के साथ गिनती में लिया जाना चाहिए।

डिस्काउंट बाद की कीमतों से राज्य सरकार को रॉयल्टी का भुगतान होने की वजह से राज्य को लगभग रू. 2807 करोड़ और दंड के तहत अनुमानतः रूपया 700 करोड़ कुल मिलाकर 3507 करोड़ रूपये की रकम राज्य सरकार को कम मिली है।

अतः माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार को यह कहना चाहूँगा कि वह ओ.एन.जी.सी.एल. कंपनी को आदेश दे कि यह भुगतान और भविष्य में कच्चे तेल पर रॉयल्टी का भुगतान डिस्काउंट के पाहले की कीमतों पर करें।